न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 733–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–12–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज जिला रायसेन प्रकरण कमांक 24/अपील/14–15.

1– शेख कमरूद्दीन आ0 स्व. शेख नसीरउद्दीन
निवासी मगरई
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
2– शेख सगीर आ0 स्व. शेख नसीरउद्दीन
निवासी मेजेस्टिक टेलर्स इब्राहिमपुरा भोपाल
3– शेख फरीद आ0 स्व. शेख नसीरउद्दीन
निवासी ग्राम मगरई
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
4– शेख अजीज आ0 स्व. शेख नसीरउद्दीन
निवासी ग्राम मगरई
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन

.....आवेदकगण

विरूद्ध

शेख समशुद्दीन आ0 स्व. शेख नसीरउद्दीन
निवासी 1/क कुम्हारपुरा, मस्जिद रानी साहिब के पास
इतवारा भोपाल

.....अनावेदक

श्री डी0डी0 मेघानी, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/10/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार, सुल्तानपुर द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 16 में पारित आदेश दिनांक 15–5–1987 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज जिला रायसेन के समक्ष दिनांक 18–11–14 को लगभग 25 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब की माफी हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 24/अपील/14–15 दर्ज कर दिनांक 9–12–2015 को आदेश पारित किया जाकर अनावेदक की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में 27 वर्ष के विलम्ब का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है, और न ही प्रत्येक दिन का कारण दर्शाया गया है ।

(2) राजस्व निरीक्षक को तत्समय अविवादित नामांतरण करने की अधिकारिता प्राप्त थी, और अधिकारिता के अंतर्गत ही आदेश दिनांक 15–5–1987 पारित किया गया है, जो वैधानिक एवं उचित है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में बटवारा आदेश सहमति के आधार पर पारित किया गया है, तब से निरंतर आवेदकगण अपनी भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में 27 वर्ष पश्चात उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है ।

(4) पारिवारिक हिस्से में प्राप्त भूमि से परिवार के सभी लोग संतुष्ट थे, ऐसी स्थिति में इतना अधिक विलम्ब होने के कारण अनावेदक को व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था ।

(5) अनावेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में यह नहीं दर्शाया गया है कि उसे आदेश की सत्यप्रतिलिपि कब प्राप्त हुई एवं उसके द्वारा आवेदन पत्र कब प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार अनावेदक द्वारा अवधि विधान के धारा 5 का आवेदन पत्र स्पष्ट ब्यौरे सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है ।

(6) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में इस बिन्दु का परीक्षण नहीं किया गया है कि तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 15–5–1987 की जानकारी अनावेदक को कौनसे स्रोत से प्राप्त, इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 2007 (II) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 25, 1992 आर.एन. 289, 2008 (II) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 32, 1989 आर.एन. 243, 2000 आर.एन. 153, 1999 आर.एन. 366, 1995 आर.एन. 139 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

तर्कों के समर्थन में 2009 एम.पी.डब्ल्यू.एन. 44 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण पंजी पर बटवारा नामांतरण आदेश दिनांक 15–5–1987 पारित किया गया है एवं राजस्व अभिलेखों में में संशोधन किया गया है, जिसकी अधिकारिता राजस्व निरीक्षक को प्राप्त नहीं थी, अतः उनके द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित होने से समय–सीमा का बंधन लागू नहीं होता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि संशोधन पंजी में संशोधन करने के पूर्व न तो उद्घोषणा जारी की गई, और न ही सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया गया है, अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अधिकारिता रहित आदेश है, जिसमें समय–सीमा का बंधन लागू नहीं होता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश अधिकारिता रहित आदेश है, इसलिए समय–सीमा का बंधन लागू नहीं होता है, परन्तु वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण पंजी पर बटान/बटवार आदेश पारित किया गया है, जबकि राजस्व निरीक्षक को बटवारा आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है । इसके अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदक को न तो किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है, और न ही नामांतरण पंजी पर उसके हस्ताक्षर हैं । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–12–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर